परिवादी सहित श्री संजय गौतम अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त सहित श्री आर०पी० सिंह अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण उभयपक्ष की ओर से दिनांक 12.05. 2018 को प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 147 परकाम्य लिखत अधिनियम पर विचार हेतु नियत है।

्रिक्त आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

परिवादी की ओर से एक आवेदन पत्र धारा—147 एन.आई.एक्ट का पेश कर निवेदन किया गया कि परिवादी एंव अभियुक्त का आपस में चेक में वर्णित राशि 2,70,000 / —रूपये के एवज में ब्याज सहित जुमला 3,15,000.00 रूपये में राजीनामा हो गया है। उक्त राशि में से दिनांक 16.05.2018 को 1,00000.00 रूपये एवं दिनांक 26.05.2018 को शेष राशि 2,15,000.00 अदा करेगा। उक्त राजीनामा बिना किसी जोर दबाव के हुआ है। ऐसी स्थिति में राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी ने अभियुक्त से 2,70,000.00 रूपये की राशि प्राप्त करने हेतु चैक अनादरण के संबंध में यह परिवाद प्रस्तुत किया है। प्रकरण में उभयपक्ष आज उपस्थित हैं तथा परिवादी के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि उसके द्वारा अभियुक्त को चैक की राशि जुमला 3,15,000.00 रूपये में से बैंक का आज अवकाश होने से 3,00000.00 (रूपये तीन लाख मात्र) नगद एवं शेष राशि 15,000.00 (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) के संबंध में अपने स्वयं के सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बालाघाट में संचालित खाता से संबंधित चैक कमांक 066170 के माध्यम से अदा कर दी गई है। उक्त संबंध में परिवादी की प्राप्ति अभिस्वीकृति टीप अंकित कराई गई।

उक्त समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए पाया जाता है कि परिवादी और अभियुक्त के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं बचा है और उक्त प्रकरण को अब आगे चलाना नहीं चाहते हैं एवं आपस में राजीनामा हो गया है।

परिवादी की पहचान अधिवक्ता श्री संजय गौतम अधिवक्ता ने की है।

उपरोक्त आवेदन पत्र पर परिवादी ने स्वेच्छापूर्वक प्रकरण राजीनामा के आधार पर समाप्त किये जाने का निवेदन किया है। परिवादी द्वारा किया गया निवेदन स्वेच्छिक प्रतीत होता है।

राजीनामें के आलोक में आरोपी प्रवीण कुमार पटेल को धारा 138 एन.आई. एक्ट के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। आरोपी प्रकरण में जमानत पर है, अतः उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर दाखिल अभिलेखागार किया जावे।

> सही / – (**र्जोंदेंजी उइले)** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट म0प्र0

